

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक प.12(31)पपा/2014

जयपुर, दिनांक 16 SEP 2016

आज्ञा

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशु पालन सेवा के निम्नांकित पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) को वर्ष 1998-99 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर (वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 6000/- में) पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ष
1.	डा. गिर्राज प्रसाद गुप्ता	सामान्य	1998-99

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015 डा. गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

डा. गिर्राज प्रसाद गुप्ता का चयन सूची में डा. योगेन्द्र पाल राणा के नीचे तथा डा. जगदीश प्रसाद यादव के ऊपर रहेगा।

डा. गिर्राज प्रसाद गुप्ता यथावत कार्यरत रहेंगे तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(एन.एल.गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर
7. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
8. निजी/रक्षित पंजिका।



शासन उप सचिव